न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/65/2024	2024/38	10.07.2024	10.12.2024

1– कृष्ण पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

2– केतन सिंह यादव पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 16.06.2023 नामान्तकरण संख्या 80 वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अशोक कुमार –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 80 निर्णय दिनांक 16.06.2023 वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के दादा बुधा पुत्र भैरू जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर की ग्राम खानपुर अहीर में आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.78 है0, 1261 रकबा 0.19 है0, 1280 रकबा 0.32 है0 का 1/2 भाग व आराजी खसरा न0 1177 रकबा 0.09 है0, 1179 रकबा 0.25 है0 का 1/6 भाग व आराजी खसरा न0 797 रकबा 0.70 है0 का 3/130 दर 13/14 भाग व आराजी खसरा न0 163 रकबा 0.52 है0 का 1/2 दर 47/52 भाग का रजिस्ट्रड दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में करा दिया तथा दानपत्र करायी गयी आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कब्जा दे दिया गया। मिन अपीलान्ट के दादा बुधा पुत्र भैरू के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में दिनाक 19.12.2022 को कोई बेचान नही किया गया था, बल्कि दिनाक 19.12.2022 को एक दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.78 है0, 1261 रकबा 0.19 है0, 1280 रकबा 0.32 है0, का 1/2 भाग आराजी खसरा न0 1177 रकबा 0.09 है0, 1179 रकबा 0.25 है का 1/6 भाग आराजी खसरा न0 163 रकबा 0.52 है0 का 1/2 दर 47/52 भाग का रजिस्ट्रड दानपत्र पंजिबद्व कराया गया था, जिस दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 94 दिनाक 01.08.2023 को दर्ज व मंजूर हो गया है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 80 दिनाक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

16.06.2023 को दर्ज करते समय दानपत्र दिनाक 19.12.2022 का बिना अवलोकन किये राजस्व रिकार्ड में दानपत्र के स्थान पर बैयनामा दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी हल्का पटवारी को होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण में नोट लगाया गया कि दस्तावेज में सहवन से दानपत्र के स्थान पर बैयनामा दर्ज हो गया है, इस लिये नामान्तकरण संख्या 80 को खारिज किया जावे। जिस पर भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी नामान्तकरण की किस्म बेचान है, संलग्न दस्तावेज दानपत्र का है, पीठासीन अधिकारी अवलोकन करे, परन्तु तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पटवारी व भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को नजर अन्दाज करते हुये नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तकरण संख्या 80 दर्ज होने के बाद राजस्व कर्मचारियो द्वारा दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में दुसरा नामान्तकरण संख्या 94 दिनाक 01.08.2023 को मंजूर कर मिन अपीलान्ट के द्वादा की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व मंजूर कर दी गयी जबकी राजस्व कर्मचारियो को नामान्तकरण संख्या 80 कों खारिज किया जाकर दुसरा नामान्तकरण संख्या 94 दर्ज व मंजूर करना चाहिये था इस लिये बेचान का नामान्तकरण संख्या 80 दिनाक 16.06.2023 को खारिज किया जावे। मिन अपीलान्ट के दादा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में कोई बेयनामा पंजिबद्व नही कराया, बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में दानपत्र रजिस्ट्रड कराया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा नामान्तकरण संख्या 80 दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में बैयनामा दर्ज कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दानपत्र से प्राप्त आराजी पर काबिज है, तथा मिन अपीलान्ट का दादा बुधा पुत्र भैरू फौत हो चुका है, तथा मिन अपीलान्ट अपने दादा से प्राप्त आराजी पर काबिज है, तथा काश्त कर रहा है, तथा मिन अपीलान्ट को कभी राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता नही पडी लेकिन अब मिन अपीलान्ट ने दिनाक 25.06.2024 को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से सर्म्पक किया और राजस्व रिकार्ड की नकल चाही तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तथा कानूनी सलाह मशवरा कर आवश्यक ईन्तजाम कर तहसील कार्यालय में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार मुण्डावर ने रिकार्ड दुरूस्त करने में असमर्थता जाहीर करते हुये राजस्व रिकार्ड कों दुरूस्त करने से मना कर दिया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, अपील पेश किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 80 निर्णय दिनाक 16.06.2023 वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित हुआ और अपनी बहस में तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2023 नामान्तकरण संख्या 80 वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर के विधिवत निस्तारण किये जाने हेतु अपीलान्ट के पक्ष में सहमति व्यक्त की गयी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम खानपुर अहीर नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 16.06.2023 के विरूद्व दिनाक 09.07.2024 को पेश की गयी है, जो एक वर्ष, एक माह पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का निस्तारण केवल दफा को आधार मानकर अपील का निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.06.2023 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 25.06.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलान्ट के दादा बुधा पुत्र भैरू जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर की ग्राम खानपुर अहीर में स्थित आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.78 है0, 1261 रकबा 0.19 है0, 1280

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

रकबा 0.32 है0 का 1/2 भाग व आराजी खसरा न0 1177 रकबा 0.09 है0, 1179 रकबा 0.25 है0 का 1/6 भाग व आराजी खसरा न0 797 रकबा 0.70 है0 का 3/130 दर 13/14 भाग व आराजी खसरा न0 163 रकबा 0.52 है0 का 1/2 दर 47/52 भाग का रजिस्ट्रड दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में किया गया। मिन अपीलान्ट के दादा बुधा पुत्र भैरू के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में दिनाक 19.12.2022 को कोई बेचान नही किया गया था, बल्कि दिनाक 19.12.2022 को एक दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 117 रकबा 0.78 है0, 1261 रकबा 0.19 है0, 1280 रकबा 0.32 है0, का 1/2 भाग आराजी खसरा न0 1177 रकबा 0.09 है0, 1179 रकबा 0.25 है का 1/6 भाग आराजी खसरा न0 163 रकबा 0.52 है0 का 1/2 दर 47/52 भाग का रजिस्ट्रड दानपत्र पंजिबद्व कराया गया था, जिस दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 94 दिनाक 01.08.2023 को दर्ज व मंजूर हो गया है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 80 दिनाक 16.06.2023 को दर्ज करते समय दानपत्र दिनाक 19.12.2022 का बिना अवलोकन किये राजस्व रिकार्ड में दानपत्र के स्थान पंर बैयनामा दर्ज कर दिया जो न्यायोचित नही है। तहत अदालत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 16.06.2023 नामान्तकरण संख्या 80 ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा